न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.

प्रथम राजस्व अपील संख्या 34/2017

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
नारायण पुत्र रामाजी,जाति माली, निवासी रतनपुरा,तहसील आहोर, जिला जालोर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहोर

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार आहोर दिनांक 17.8.2017(प्रकरण सं. 67/2017)

उपस्थिति :–
1.श्री चुन्नीलाल पुरोहित,अभिभाषक,अपीलांट की ओर से।
2.श्री छोटूसिंह,सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांक 23.11.2017

1. अपीलांट के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा रतनपुरा के खसरा नम्बर 97 रकबा 0.14 हेक्टर किस्म–बारानी व स्कूल खेल मैदान पर अपीलांट को संवत् 2074 में अकिमणकारी मानते हुए पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार आहोर को रिपोर्ट पेश की,जिस पर तहसीलदार आहोर द्वारा मुकद्मा सं. 67/2017 दर्ज कर अपीलांट को जरिये नोटिस तलब किया गया, दिनांक 26.7.17 को अतिवृष्टि होने के कारण नोटिस तामील नही हुए,पुनःनोटिस जारी के आदेश हुए दिनांक 17.8.17 को पत्रावली न्यायालय में पेश हुई , न्यायालय ने एकतरफा कार्यवाही का कर बेदखली व जुर्माना का आदेश पारित किया, दिनांक 12.10.2017 को सरपंच,ग्राम पंचायत सांकरणा द्वारा सूचित किया कि अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए एकतरफा फैसला कर मौके से बेदखल करने हेतु ग्राम पंचायत में तहरीर जारी हुई है। अपीलांट ने नकलो हेतु दरख्वास्त पेश की,नकले दिनांक 23.10.17 को दी गई। अपीलांट को नोटिस की तामील नही हुई,दिनांक 17.8.17 को जो नोटिस दिया गया है वह जॉईन्ट नोटिस था, संयुक्त रूप से नोटिस देने का कोई प्रावधान नही है। दिनांक 17.8.17 का नोटिस सींकाकुमारी पुत्री नारायणलाल से लेना बताया है,वह लडकी नाबालिंग है तथा विद्यार्थी है,नाबालिंग को नोटिस नही दिया जा सकता। यह भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि के पास आई हुई है। तहसीलदार द्वारा मौके पर कोई पैमायश नही करवाई व न ही मौके पर आकर वास्तविक

स्थिति को देखा है, केवल मात्र रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की गई है। मौके पर कोई खेल का मैदान नही है। अपीलांट को फैसले की जानकारी दिनांक 12.10.17 को हुई जब ग्राम पंचायत द्वारा अपीलांट को बुलाकर यह कहा गया कि दिनांक 26.10.17 को तुम्हारा मौके से कब्जा हटायेंगे व पडे पत्थरों को निलाम किया जायेगा, जिस पर अपीलांट दिनांक 12.10.17 को तहसीलदार कार्यालय में गये दिनांक 2.10.17 को नकले प्राप्त की, नकले मिलने से अपील अन्दर म्याद पेश की जा रही है,फिर भी यदि कोई देरी हुई हो तो अपील के साथ अलग से धारा 5 भारतीय मर्यादा अधिनियम का प्रार्थनापत्र पेश किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.8.2017 निरस्त करावे। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थनापत्र, शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ आदेश दिनांक 17.8.2017 आदि की नकले पेश की, इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट के धार 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र का रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब पेश नही किया गया है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलांट के अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का निवेदन किया। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी वकील ने बताया कि अपीलांट व मोहनलाल ने संवत् 2074 में मौजा रतनपुरा के खसरा नम्बर 97 कुल रकबा 0.75 हेक्टर कुल रकबा 0.75 हेक्टर में से 0.14 हेक्टर पर कब्जा खेड व बाड कर अतिक्रमण करने से पटवारी हल्का सांकरना की रिपोर्ट पर प्रकरण सं.67/17 दर्ज कर बाद सुनवाई बेदखली व जुर्माना का आदेश पारित किया गया है। उक्त भूमि रा.उ.प्रा.वि.रतनपुरा के खेल मैदान एवं भवन की होने से आदेश सही पारित किया गया है। गैरसायल मोहनलाल निर्णय के दिवस अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित था। अतः अपीलांट की अपील खारिज करावे।

4. बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलांट–नारायणलाल व मोहनलाल द्वारा मौजा मौजा रतनपुरा के खसरा नम्बर 97 कुल रकबा 0.75 हेक्टर में से 0.14 हेक्टर किस्म खेल मैदान,भवन

पर अतिक्रमण कर कब्जा,खेड व वाडा किया है,जिस पर पटवारी हल्का सांकरना की रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण सं.67/97दर्ज कर,बाद सुनवाई कर अपीलांट व मोहनलाल को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली व जुर्माना का आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय में निर्णय के दिवस दिनांक 17.8.2017 को गैरसायलान् की ओर से मोहनलाल स्वयं उपस्थित आया है व कोई साक्ष्य,सबूत पेश नही किये है। चूंकि यह भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रतनपुरा के खेल मैदान,भवन की भूमि है जो राजकीय भूमि है जिस पर अपीलांट्स द्वारा अतिक्रमण करने से अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय सही पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

आदेश

अपीलांट्स द्वारा तहसीलदार आहोर के आदेश दिनांक 17.8.2017 (प्रकरण सं.67/2017) के विरूद्ध प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 23.11.2017 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर